जिला कलक्टर, सिरोही

27.07.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित, जिन्होने मूल अपील में क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर आपत्ति करते हुए यह व्यक्त किया कि इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल अपील को सुनने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मूल अपील के साथ–साथ प्रस्तुत किया गया है एवं इससे सम्बन्धित मूल अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से लौटाए जाने के आदेश दिए जा चुके है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से मूल अपील के साथ–साथ लौटाए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति पत्रावली में बतौर अभिलेख रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner